GST Update on decisions taken on New registrants in GST Council meeting

1. जीएसटी में एक नई स्कीम "Know Your Supplier" लाई जा रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इसे लागू करने पर सहमति हुई है। तथा इस पर निर्णय लिया गया है। पहले जब जीएसटी आया था तब यह बताया गया था जीएसटी पोर्टल पर assessee को एक रैंकिंग दी जाएगी। 1 से 10 नंबर तक की होगी। समय पर टैक्स रिटर्न भरने वालों को अच्छी रैंकिंग दी जाएगी, परंतु irregular taxpayer को खराब रैंकिंग दी जाएगी। इसका एक Criteria है। यह Criteria भी दिया गया था। इसका लाभ यह होता था कि माल खरीदने से पहले taxpayer अपने सप्लायर की रैंकिंग देख लेता। तथा यह निर्णय कर सकता था कि उससे माल लेना है या नहीं। पर यह योजना implement नहीं हुई। अतः अब ये नई स्कीम लाई जा रही है। Press release में इसका ज्यादा खुलासा नहीं आया है। पर लेखक के मंतव्य में इसमें हर taxpayer की general information होगी। इससे सप्लायर के बारे में जानकारी लेकर उसको माल भेजने के लिए आर्डर दे सकते हैं। पर general information मिलने से क्या होता है, रैंकिंग वाली पहली स्कीम ज्यादा अच्छी थी पर वह अब लागू नहीं हो पाई है।

2. अब Reserve Bank of India ने तीन account Aggregator को लाइसेंस दिया है। यह Aggregator विभिन्न financial Institution व GST Department से इंफॉर्मेशन लेकर financial information यूजर को यह डाटा देंगे। क्योंकि customer को banking, financial planning, insurance की सर्विस देते हैं। Aggregator यह सोच रहे हैं कि इंफॉर्मेशन GST Department, TRAI आदि को भी लाभकारी होगी। GST Department "Know your Supplier" scheme मैं इसको इस्तेमाल करके सप्लायर्स के बारे में taxpayer को जानकारी उपलब्ध करा सकता है।

3. अब एक और निर्णय लिया गया है कि New Taxpayer जो कि अब registered होंगे, वह बिना अपने उनके व्यवसाय के स्थल को भौतिक सत्यापन हुए अब credit को pass on नहीं कर पाएंगे। उनके बारे में पूर्ण जानकारी आने वाले दिनों में ही पता चलेगी। पर GST में कभी भी भौतिक सत्यापन का प्रावधान नहीं था। यह central excise से taxpayer का physical verification होता था। पर अब यह प्रावधान GST में लागू किया जा रहा है। यह Fake invoice से होने वाली कर्म अप वंचना को काबू करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही new registratant Know your Client का भी सत्यापन होगा, जो कि शायद बैंक से ही होगा। पर पूर्ण जानकारी बाद में ही

आएगी। पर इस तरह से व्यापार में बड़ी दिक्कत आएगी। तथा new taxpayer से कोई माल नहीं खरीदेगा। साथ ही इस को लागू करने के लिए GST law में भी बदलाव करना होगा। तथा पोर्टल में Amendment करना होगा. GSTR- 3B में consolidated figure आता है। New assessees के credit को किस प्रकार रोका जाएगा?

4. यह भी निर्णय किया गया कि GST Department bank से जानकारी लेना का अधिकारी होगा। यह जानकारी बहुत ही गोपनीय होती है। लेखक के मत में यह जानकारी "Know your supplier" पर शेयर नहीं की जा सकती है। अभी सभी assesse की साधारण जानकारी ही पोर्टल पर शेयर की जा सकती है, पर डिटेल में जानकारी नहीं ली जा सकती है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21